छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा षोडश सत्र अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 2018

(आषाढ़ 12, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 09 एवं

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

पश्चात्

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

10 से 12 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री भैयाराम सिन्हा अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 40 तारांकित एवं 57 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने तीन सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के लिये पत्र लिखा है और यह समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है एवं माननीय सदस्य श्रीमती रेणु जोगी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया है। माननीय सदस्य ने व्यवस्था चाही कि तीनों सदस्यों की और माननीय सदस्य श्रीमती रेणु जोगी की सदन में क्या स्थिति है?

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कथन किया कि समाचार पत्रों के आधार पर सदन में चर्चा नहीं होती है।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने भी व्यवस्था दिये जाने का आग्रह किया।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय विधायक श्रीमती रेणु जोगी को कांग्रेस विधायक दल ने सूचना दी, नहीं दी ये कांग्रेस विधायक दल का आन्तरिक मामला है। इसलिए इसे व्यवस्था का प्रश्न न मानते हुए रद्द करता हूं।

माननीय अध्यक्ष ने यह भी व्यवस्था दी कि -भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री टी.एस.सिंहदेव द्वारा मेरे समक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम 1986 के नियम 6 के अधीन श्री अमित अजीत जोगी, श्री राजेन्द्र कुमार राय एवं श्री सियाराम कौशिक, सदस्य को संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता ग्रस्त किये जाने के संबंध में अर्जी दी गई है, जो विचाराधीन है। मैं उस पर परीक्षण उपरांत अपना विनिश्चय दूंगा।

4. पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने कथन किया कि आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है परंतु विधान सभा के चलते समय अगर किसी सदस्य का अपमान होता है तो यह पूरी विधान सभा का अपमान है, यह उस विधायक का अपमान है।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आरोपात्मक कथन किये जाने पर श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री द्वारा आग्रह किया गया कि हमारी आपत्ति नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार पर है। माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात वापस लें और सदन से क्षमा मांगे।

(पक्ष - प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.25 बजे स्थगित की जाकर 12.52 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - श्रीमती रेणु जोगी को विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाने संबंधी उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने पूर्व में अपनी व्यवस्था दे दी है। इसके पश्चात् जिन भी सदस्यों ने असंसदीय शब्दावली का प्रयोग किया है, उसको मैं कायवाही में देखकर विलोपित कर दूंगा। इसके पश्चात् इस मामले का यहीं पटाक्षेप करता हूं।

6. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में किसानों द्वारा लगातार आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबधी 34 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से सर्वप्रथम प्राप्त श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य की सूचना पढ़ी गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

7. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।

8. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 178/एफ-2017-04-04005/2018/वित्त/वि.आ.प्र.,दिनांक 29 मई, 2018,

(2) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार-

   (i) अधिसूचना क्रमांक एफ-2(1)/48/सं.का./2018, दिनांक 16 मई, 2018 तथा

   (ii) अधिसूचना क्रमांक एफ-2(2)/48/सं.का./2018, दिनांक 16 मई, 2018

(3) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/2010/32,दिनांक 30 मई, 2018

(4) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-13/2017/32,दिनांक 22 मई, 2018 **पटल पर रखे।**

9. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री अमरजीत भगत, टी.एस.सिंहदेव, डॉ. प्रीतम राम, सदस्य ने प्रदेश में हाथियों के आतंक से जन-धन की हानि होने के ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने जिला-राजनांदगांव, विकासखंड डोंगरगढ़ अंतर्गत कृषकों को सूखा राहत राशि नहीं दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

10. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. खिलावन साहू
(2) श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम
(3) श्री श्रवण मरकाम
(4) श्री धनेन्द्र साहू
(5) श्री पारसनाथ राजवाड़े

11. वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए बुधवार, दिनांक 4 जुलाई, 2018 की तिथि निर्धारित की।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018) पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018) पुर:स्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर निम्नलिखित विधेयकों की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत् रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान की है -

(1) छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018), तथा

(2) छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, (क्रमांक 11 सन् 2018)

(4) छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018)

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) पुर:स्थापित किया।

(5) छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, (क्रमांक 11 सन् 2018) पुर:स्थापित किया।

13. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) आज दिनांक 3 जुलाई, 2018 को आज की कार्यसूची के कार्यों की समाप्ति के पश्चात् सेन्ट्रल हॉल में पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति के सदस्यों एवं पत्रकार दीर्घा के प्रवेशपत्रधारी पत्रकारों के साथ समूह छायाचित्र लिया जाना निर्धारित किया गया है। अत: पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति के सदस्य एवं पत्रकार दीर्घा के प्रवेश पत्रधारी समस्त पत्रकारगण निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होवें ।

(2) छत्तीसगढ़ विधान सभा परिसर के खेल प्रशाल स्थित मैदान में माननीय सदस्यों हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन बुधवार, दिनांक 4 जुलाई, 2018 को प्रात: 9.30 बजे रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त तिथि को यथासमय उपस्थित होकर उनके लिए पूर्व निर्धारित स्थल पर पौधा रोपित करने का कष्ट करें। कार्यक्रम पश्चात् स्वलपाहार की व्यवस्था भी कक्ष में की गई है।

14. मंत्रि-मंडल में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव

(1) माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मंत्रि-परिषद् के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना श्री अमित जोगी, श्री सियाराम कौशिक एवं राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य की ओर से प्राप्त हुई है।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों, वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

चूंकि नियमावली के नियम 143 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार सदस्यों की समस्त संख्या में से दशांश सदस्य खड़े नहीं हुए हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को वे अनुमति नही देते हैं।

(2) माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मेरे पास मुख्यमंत्री, डॉ.रमन सिंह एवं उनके मंत्रि-मंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की एक सूचना श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष की ओर से प्राप्त हुई है, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं -

"यह सदन मुख्यमंत्री, डॉ.रमन सिंह एवं उनके मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है।"

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों, वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

चूंकि नियमावली के नियम 143 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार सदस्यों की समस्त संख्या में से दशांश सदस्य खड़े हुए हैं, इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए वे अनुमति देते हैं।

माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई, 2018 को मध्याहन 12.00 बजे से 5.30 बजे तक का समय चर्चा के लिए नियत किया।

अपराहन 2.15 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 4 जुलाई, 2018 (आषाढ़-13, शक संवत् 1940) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा